राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– एफ.6(179)/परि/कर/मु./12/5859 जयपुर, दिनांक : 12.07.2012

कार्यालय आदेश संख्या 14/2012

आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्रांक प 21(आसूचना)परिवाद/उ /एई/2011/1826 दिनांक 29.06.2012 (प्रति संलग्न हैं) के द्वारा अवगत कराया कि परिव कार्यालयों में राज्य से बाहर क्रय किये गये काफी वाहनों के पंजीयन प्रमाणपत्र, बिना वाणिज्यिक विभाग के कर चुकता प्रमाण पत्र (टी.सी.सी.) प्राप्त किये जारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको आदेश दिया जाता हैं कि दिनांक 18.09.2009 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 27/2009 की सर से पालना सुनिश्चित करायें। कार्यालय आदेश संख्या 27/2009 की निरन्तरता मे निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. ऐसा वाहन जो अन्य राज्यों से क्रय कर राज्य में पंजीयन हेतु लाया जाता है तथा वाहन स्वामी द्वारा प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 19 के नियम 47 के तहत वाहन पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता हैं एवं प्रार्थी द्व प्रस्तुत दस्तावेज नियम सम्मत पाये जाते हैं तो ऐसे वाहन को नियमानुसार पंजीकृत कर वा को पंजीयन अनुक्रमांक जारी कर दिया जावें। पंजीयन अनुक्रमांक आवंटित करने के पश्च वाहन स्वामी को पंजीयन प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जावे जब तक वाहन स्वामी द्व वाणिज्यिक कर विभाग के सक्षम अधिकारी से वेट/एन्ट्री टैक्स के संबंध में अनापत्ति/ चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता हैं।
2. अन्य राज्यों से वाहन क्रय कर आपके क्षेत्राधिकार में पंजीकृत करवाये गये वाहनों का विवरण जिसमें वाहन का पंजीयन अनुक्रमांक, वाहन स्वामी का नाम एव पता अंकित हो सूचना की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग को आवश्यक रूप से दिवस में भिजवायें एवं इस संबंध में अनुपालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अव करवाया जावें।

उक्त आदेशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावें।

परिवहन आयुक्त
एवं प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.6(179)/परि/कर/मु./12/5859 जयपुर, दिनांक : 12.07.2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ....
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....
4. आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प 21 (आसूचना) परिवाद/उप एई/2011/1826 दिनांक 29.06.2012 के क्रम में सूचनार्थ।